2021 का विधेयक संख्यांक 77.

[दि एयरपोर्टस इकोनोमिक रेगूलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2008 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।

2. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (झ) में "कोई अन्य विमानपत्तन" शब्दों के पश्चात "या विमानपत्तनों का समूह" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 विमानपत्तनों पर दी जाने वाली विमान की सेवाओं के टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने के लिए तथा विमानपत्तनों के कार्य निष्पादन मानकों की मानीटरी करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करता है ।

2. विमानपत्तनों, एयर लाइनों तथा यात्रियों के हितों को संरक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक होने के नाते भारतीय विमानपत्तन विनियामक प्राधिकरण अपनी स्थापना से ही देश के महाविमानपत्तनों पर वैमानिकी प्रभारों के टैरिफ का अवधारण कर रहा है । उक्त अधिनियम के अधीन "महा विमानपत्तन" को किसी ऐसे विमानपत्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 3.5 मिलियन से अधिक वार्षिक यात्री आते हैं या उसे ऐसे विमानपत्तन के रूप में अभिहित किया गया है या कोई अन्य विमानपत्तन, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट करे, को आशयित करने के रूप में परिभाषित किया गया है । तथापि, यह विमानपत्तनों के समूह के लिए टैरिफ के अवधारण का उपबंध नहीं करता है ।

3. विमानपत्तन जहां इस समय यातायात की संभाव्यता कम है और हानि होने के कारण तर्कसंगत यथोचित प्रतिस्पर्धी बोलियां आकृष्ट करने की संभावना नहीं है । पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी ढंग से अधिक विमानपत्तनों का विकास सापेक्ष रूप से सुदूर और दुरस्थ क्षेत्रों में वायु संपर्क का विस्तार करेगा । इस अप्रोच से न केवल अधिक यातायात वाले लाभ प्रदान करने वाले विमानपत्तनों का विकास होगा बल्कि कम यातायात वाले लाभ न कमाने वाले विमानपत्तनों का भी विकास होगा । इसलिए, सरकार ने लाभ प्रदान करने वाले और लाभ न प्रदान करने वाले विमानपत्तनों को मिलाने का या जोड़ने का विनिश्चय किया है, जिनका संभावित बोलीदाताओं को पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी ढंग में प्रस्ताव किया जा सकता है ।

4. तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 "महाविमानपत्तन" की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है, जिससे उसकी परिधि का विमानपत्तनों के समूह के लिए टैरिफ का अवधारण करने के लिए विस्तार किया जा सके, जो छोटे विमानपत्तनों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 मार्च, 2021.

हरदीप एस. पुरी

उपाबंध

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं ।

* * * * * *

(झ) "महा विमानपत्तन" से ऐसा विमानपत्तन, जिसकी क्षमता वार्षिक 15 लाख से अधिक यात्रियों की है या उतने के लिए अभिहित किया गया है या कोई ऐसा अन्य विमानपत्तन अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार उस रूप में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

* * * * * *